Phone No. 07578-252027 Fax No. 07578-252441
Email:cbpachmarhi@dgest.org

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

छावनी परिषद पचमढ़ी

MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA

!! निविदा सूचना !!

क्रमांक / 69 / मेला / 3098 दिनॉक :— 16 जनबरी '2018

आम जनता को सूचित किया जाता हैं, कि वर्ष 2017 के नागपंचमी मेले के दौरान लगने वाली अस्थाई दुकानों के लिए म0प्र0 विद्युत मण्डल से विद्युत प्राप्त करने तथा दुकानों में ट्यूबलाईट एवं बल्ब किराए पर स्थापित करने के अधिकारों के ठेके हेतु दिनॉक 30 / 01 / 2018 को 1500 बजे दिन तक छावनी परिषद, पचमढी द्वारा मोहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, प्राप्त निविदाएं दिनॉक 30 / 01 / 2018 के 1600 बजे निविदाकर्त्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 30 / 01 / 2018 के 1300 बजे तक रूपये 500 / — जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा सूचना नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समय मे छावनी परिषद पचमढ़ी कार्यालय मे देखी जा सकती है। एवं छावनी परिषद पचमढ़ी की बेबसाईट www.cbpachmarhi@dgest.org पर देखी जा सकती है।

सत्यम मोहन भा.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, **पचमढी**

प्रतिलिपि :—

1. छावनी परिषद कार्यालय सूचना पटल
2. बस स्टेण्ड सूचना पटल
3. जवाहर चौक सूचना पटल
4. गॉधी चौक सूचना पटल
5. साडा कार्यालय सूचना पटल
6. तहसील कार्यालय सूचना पटल
7. पण्डित टी स्टाल
8. सम्पाक, पत्रिका भोपाल, — ***कृपया पेपर मे प्रकाशित करने का कष्ट करे।***
9. सम्पादक, स्वदेश भोपाल
10. श्री अभ्यूदय अग्रवाल, — *छावनी परिषद की बेबसाईट मे प्रकाशन हेतु।*
    सहायक प्रोग्रामर
    छावनी परिषद पचमढ़ी।

शिवरात्री मेले 2018 मे अस्थायी दुकानो मे बिद्युत व्यवस्था के अधिकारो को ठेके पर देने हेतु नीलामी की नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र दिनॉक 30/01/2018 के 1300 बजे तक छावनी परिषद कार्यालय में रु0 500/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

2. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रुप में रु0 2,000/– रुपये नगद छावनी परिषद कार्यालय में जमा कर उसकी रसीद या छावनी अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, पचमढी के पक्ष में देय रु0 2,000/– की टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न करना अनिवार्य हैं, अमानत राशि निविदा के साथ प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

3. निविदा कर्ता का पंजीयन विद्युत विभाग में होना आवश्यक है, तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र सॅलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

4. उच्चतम निविदाकर्त्ता को उसकी निविदा छावनी परिषद, पचमढी द्वारा स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटो की समयावधि में निविदा मे अंकित धनराशि एक मुश्त छावनी परिषद कार्यालय, पचमढी में जमा करनी होगी। ऐसा करने में उच्चतम निविदाकर्त्ता के असफल रहने पर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्त्ता को सफल निविदाकर्त्ता घोषित किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम उच्चतम निविदाकर्त्ता की अमानत राशि छावनी परिषद, पचमढी द्वारा अधिग्रहण कर ली जावेगी। द्वितीय सफल निविदाकर्त्ता, निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटों की समयावधि में निविदा की संपूर्ण धनराशि छावनी परिषद, पचमढी कार्यालय में अदा करेगा, अन्यथा उसकी अमानत राशि अधिग्रहण कर छावनी परिषद, पचमढी द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती हैं।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

5. निविदाकर्त्ता का पंजीयन विघुत विभाग मे होना आवश्यक है, तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र सॅलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

6. सफल निविदाकर्त्ता (ठेकेदार) के लिए अनिवार्य हैं, कि वह तथा उसके प्रतिनिधि उपरोक्त ठेके के कार्य को करते समय कार्यालय सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) सहायक विद्युत निरीक्षक म0प्र0 शासन, उपसंभाग आई0आई0टी0 रोड, होशंगाबाद, म0प्र0 के पत्र क्रमांक / अस्थाई / 2004–2005 / 1222 / सहायक–वि0नि0 / होशंगाबाद,दिनॉक 28 / 01 / 05 में दिये गए सुरक्षित विद्युत व्यवस्था का पालन करें। यह पत्र छावनी परिषद, पचमढी के कार्यालय में देखा / पढा जा सकता है। इसके साथ ही विद्युत से संबंधित सभी कानून, नियम तथा उपनियमों का पालन करना भी ठेकेदार के लिए अनिवार्य है। ठेकेदार सभी प्रकार के आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम करेगा।

7. ठेके संचालन के दौरान ठेकेदार की त्रुटि से किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना के लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी रहेगा, छावनी परिषद, पचमढी की इसमें कोई जिम्मेदारी नही होगी।

8. शिवरात्रि मेले में लगने वाली अस्थाई दुकानों में स्थापित किये जाने वाली ट्यूब लाईट एवं बल्ब का अधिकत्तम दैनिक दर क्रमशः रु0 50 / तथा रु0 40 / होगा। सी.डी. प्लेयर एवं टी.वी की दरे 75 / – रू0 प्रतिदिन होगी।

9. ठेकेदार द्वारा निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूल किये जाने पर अथवा अन्य अनियमितता किये जाने पर छावनी परिषद, पचमढी किसी भी समय ठेकेदार को दिये गए उपरोक्त अधिकार निरस्त कर सकती हैं एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

10. मुख्य अधिशासी अधिकारी या छावनी कर्मचारी द्वारा समय–समय पर ठेके के उचित संचालन की जॉच कर सकते है। ठेकेदार तथा उसके प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को इस कार्य में सहयोग प्रदान करना अनिवार्य हैं।

11. शर्त संख्या :02 के अनुसार जमा अमानत राशि ठेका समाप्ति की तिथि से एक सप्ताह के पश्चात् वापस की जाएगी।

सत्यम मोहन भा0र0सा0से
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :–

1. कार्यालय छावनी परिषद, **पचमढी।** – सूचना पटल।
2. स्वच्छता निरीक्षक, छावनी परिषद, **पचमढी।** – वास्ते विस्तृत मुनादी हेतु।

3. जवाहर चौक, **पचमढी।** — **सूचना पटल।**
4. गॉधी चौक, **पचमढी।** — **सूचना पटल।**
5. लकी इलेक्ट्रीक्लस, **पचमढी।**
6. अंसारी इलेक्ट्रीक्लस, **पचमढी।**
7. नाईटसन इलेक्ट्रीक्लस, **पचमढी।**
8. श्री विमल इलेक्ट्रीक्लस, **पचमढी।**
9. श्री नंदा गायकवाड, बाबूलाईन, **पचमढी।**
10. सतपुडा इलेक्ट्रीक्लस, **पचमढी।**
11. सिद्वेशवर टेन्ट हाऊस, **पचमढी।**
12. श्री सैय्यद आजाद अली,
    जिला मोहल्ला, **पचमढी।**
13. श्री आर0 एस0 पालीवाल, **पिपरिया।**
14. श्री सुनील टेन्ट हाऊस,
    सरदार वार्ड कालोनी के पीछे, **पिपरिया।**
15. श्री रामगोपाल महेश्वरी,
    महेश्वरी टेन्ट हाऊस, साडिया रोड, **पिपरिया।**

!! विनय !!